तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.17/2018	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
02.12.2020	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी किशोर कुमार पुत्र श्री दौलतराम जी, जाति- कहार, मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता, मैसर्स सोनू किराणा स्टोर, अम्बेडकर सर्कल, मानपुर, आबूरोड, जिला-सिरोही के अधिवक्ता श्री नारायण लाल कुम्हार उपस्थित। प्रकरण में प्रतिवादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई, जिन्होंने बहस में प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित किया व यह भी व्यक्त किया कि प्रतिवादी एक छोटा व्यापारी है एवं उक्त दुकान के माध्यम से अपने परिवार की आजीविका चलाता है। प्रतिवादी ने कोई गंभीर अपराध कारित नही किया है, केवल लूज सरसों तेल का विक्रय किया है। प्रतिवादी द्वारा विक्रय किया गया सरसो तेल जांच में अमानक या असुरक्षित खाद्य नही पाया गया है। अत: प्रतिवादी पर कम जुर्माना कर प्रकरण का आज ही निस्तारण करावे। हमने सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का अध्ययन व अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि दिनांक 02.11.2017 को आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही दौरान गस्त 3.00 पी.एम. पर मैसर्स सोनू किराणा स्टोर, अम्बेडकर सर्कल, मानपुर, आबूरोड, जिला-सिरोही पर गये। वहां पर प्रतिवादी किशोर कुमार को सरसो तेल (Loose) का विक्रय करते हुए पाया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दुकान के निरीक्षण पर एक स्टील टीन में सरसों तेल (Loose) लगभग 10 किलोग्राम भरा हुआ था, जिसको किशोर कुमार आमजन को विक्रय कर रहा था। जिसमें मिलावट का शक होने पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने गवाहान के समक्ष खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत सरसो तेल (Loose) का नमूना वास्ते जांच क्रय करने की इच्छा जाहिर करते हुए प्रपत्र संख्या 5ए भरकर विक्रेता किशोर कुमार को दिया व प्रपत्र 5ए की दूसरी प्रति पर रसीद प्राप्त कर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त वाले तेल (Loose) में से 1600 एम. एल. सरसो तेल (Loose) तुलवाकर उसकी कीमत राशि 140/- (अक्षरे एक सौ चालीस मात्र) अदा कर वास्ते जांच क्रय किया। उसके बाद आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने ......लगातार	

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.01.10 16:47:01 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.17/2018	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

विधिवत कार्यवाही करते हुए क्रय शुदा सरसों तेल (Loose) को चार-साफ सूखी व खाली बोतलों में बराबर बराबर भरकर विधिवत सील बंद सील मुहर किया व मौका फर्द तैयार की। उसके बाद आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विधिवत कार्यवाही करते हुए उक्त सरसों तेल (Loose) के नमूनें को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया। प्रकरण में उक्त सरसों तेल (Loose) के नमूनें की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./1152/Act/2017/1152 दिनांक 30.11.2017 में सरसों तेल (Loose) के विक्रय को खाद्य सुरक्षा मानक (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बंधन) विनियम, 2011 के विनियम संख्या 2.3. 15(1)(b) का उल्लंघन होना बताया गया है। जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 58 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 58 के तहत प्रतिवादी किशोर कुमार पुत्र श्री दौलतराम जी, जाति- कहार, मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता, मैसर्स सोनू किराणा स्टोर, अम्बेडकर सर्कल, मानपुर, आबूरोड, जिला- सिरोही पर राशि रुपये 2,000/- (अक्षरे रुपये दो हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है एवं उक्त प्रतिवादी किशोर कुमार पुत्र श्री दौलतराम जी, जाति- कहार, मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता, मैसर्स सोनू किराणा स्टोर, अम्बेडकर सर्कल, मानपुर, आबूरोड, जिला- सिरोही को आदेशित किया जाता है कि उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में डी.डी. बनवाकर इस न्यायालय में 7 दिवस में जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। माफिक निर्णय/आदेश प्रतिवादी किशोर कुमार पुत्र श्री दौलतराम जी, जाति- कहार, मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता, मैसर्स सोनू किराणा स्टोर, अम्बेडकर सर्कल, मानपुर, आबूरोड, जिला- सिरोही [illegible] ने भारतीय स्टेट बैंक, शाखा सिरोही द्वारा [illegible] रु. 2,000/- (अक्षरे रुपये दो हजार मात्र) का जारी डी.डी. [illegible] 944500 दिनांक 02.12.2020 का इस न्यायालय में [illegible] करवाया है। अतः पत्रावली फैसल शुमार हो एवं उक्त [illegible] की राशि राजकोष में जमा होने के बाद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.01.10 16:47:01 IST
Reason: SelfAttested

(गितेश श्री मालवीया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
सिरोही

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज.)